

PAY

संख्या-325/1-10-12(71)/10

प्रेषक,

के० के० प्रिन्हा,
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
काशीराम नगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : ११-सितम्बर, 2010

विशय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु अग्रिम रूप से कुल रू० 50,00,000/- (रू० पचास लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वहन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस धनराशि को सम्मिलित करते हुए आपके जनपद को अबतक कुल रू० 1,60,00,000/- आवंटित किए जा चुके हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाधीनक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-जी०आई०-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश संख्या-जी०आई०-109/1-11-2009-46/97, दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 (दैवी आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट पक्का मकान हेतु राहत सहायता की धनराशि रू० 25000/- से बढ़ाकर रू० 35000/- प्रति मकान किया गया है), में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित हैं अर्थात् जहाँ राहत सहायता के वितरण हेतु धनराशि निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। लेकिन उन मदों में धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी, जिसमें निर्णय लेने हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति को अधिकृत किया गया है। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/ शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय

अक्षी: 2

केवल दैवी आपदाओं— अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चकवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्ति यों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं कि जा जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या—4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मर्दों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर

-3-

भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के० के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या-325/1-10-2010-12(71)/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार- लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिशद, उ० प्र० लखनऊ।
5. कोषाधिकारी काशीराम नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनु०-6/11, राहत आयुक्त संगठन।
8. एन०आई०सी० को राहत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के० के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त